(नवीन मान्यता)

प्रेषक :–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार ।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक
श्री धूम सिंह मैमोरियल पब्लिक स्कूल, सीतापुर
विकास क्षेत्र : बहादराबाद (हरिद्वार)।

पत्रांक : मान्यता/ 3158-61 /2004–05 दिनांक : मार्च 18, 2005

विषय : **प्राइमरी स्तरीय (कक्षा 1 से 5 तक) नवीन मान्यता की स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा संख्या : 1873/15–06–98–18 एस0(7)/89 दिनांक 10–09–98 में दिये गये निर्देशानुसार आपके मान्यता सम्बन्धी आवेदन–पत्र पर जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक : 15–03–2005 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 01 से 05 तक की अस्थायी मान्यता **दिनांक 01–07–2004 से 30–06–2009 तक** पांच वर्ष के लिए निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है । इस अवधि में संबंधित विद्यालय को निर्धारित सभी शर्तो को पूरा करने के साथ–साँथ स्थायी मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा । प्रदत्त मान्यता का नवीनीकरण नही किया जायेगा । आपके द्वारा इन प्रतिबन्धों का पालन न करने पर मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकती है ।

1– विद्यालय की प्रबन्ध समिति का समय–समय पर पंजीकरण व नवीनीकरण कराया जाये ।
2– विद्यालय में समस्त अध्यापक/अध्यापिकायें प्रशिक्षित नियुक्त की जायें ।
3– विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों के वेतन का भुगतान केवल बैंक के माध्यम से ही किया जायें ।
4– विद्यालय के छात्रों से विभागीय नियमानुसार शुल्क लिया जायें ।
5– विद्यालय में छात्र–छात्राओं को उत्तरांचल सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम पढ़ाया जाये ।
6– विद्यालय की कोई अन्य शाखा किसी भी स्थान पर संचालित न की जाये और न ही विद्यालय में अनियमित कक्षा संचालित की जाय।
7– समय–समय पर निर्गत शासनादेशों तथा विभागीय आदेशों का पालन करना आवश्यक है ।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार ।
दिनांक : उक्तवत् ।

पृ0सं0 : मान्यता/ /2004–05

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी ।
2– उप–बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार ।
3– जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार ।

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)
गढ़वाल मण्डल–पौड़ी (गढ़वाल)

सेवा में,

अपर जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक)
पौड़ी / चमोली / रुद्रप्रयाग / उत्तरकाशी / टिहरी / हरिद्वार / देहरादून।

आदेश पत्रांक / बे0 / 20 / 2005–06 / दिनांक 27-03-2006

विषयः– अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा–6 से कक्षा–8 तक "ब" श्रेणी की अस्थाई मान्यता आदेशों का प्रेषण।

महोदय,

शासनादेश संख्या / 646 / 15-6–97 एस(7)89 दिनांक 13–8–97 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता समिति के सदस्यों की संस्तुति के आधार पर निम्न लिखित प्रतिबन्धों के अधीन अशासकीय जूनियर हाईस्कूल को कक्षा–6 से कक्षा–8 तक "ब" श्रेणी की अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का नवीनीकरण समय–समय पर कराया जाय।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी / अधिकारी नहीं होगा।
3. विद्यालय में नियमानुसार अनुसूचित जाति / जनजाति के बच्चों के लिये स्थान सुरक्षित रखे जाय।
4. विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित दरों के अनुकूल शुल्क लिया जाय। अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
5. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
6. विद्यालय की समस्त निधियों का लेखा–जोखा नियमानुसार रखा जायेगा।
7. विद्यालय में परिषद द्वारा निहित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी, और न पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
8. कर्मचारियों की सेवा–शर्तें बनाई जायेंगी।
9. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्थायें उनका पालन करेंगी।
10. विभाग से अनुमति प्राप्त किये बिना विद्यालय भवन में कक्षा–1 से कक्षा–5 तक एवं कक्षा–9 तथा कक्षा–10 संचालित न किये जाय।
11. विद्यालय अपने अध्यापकों / कर्मचारियों को वही वेतनादि देने के लिये जिम्मेदार होगा, जो परिषद के समान अर्हता वाले अध्यापकों / कर्मचारियों को मिल रहा है।
12. अप्रशिक्षित अध्यापकों तीन वर्ष में प्रशिक्षित कर दिया जाय।
13. विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि हिन्दी होगी। हिन्दी अनिवार्य विषय के रुप में पढ़ायी जायेगी।
14. विद्यालय से उस क्षेत्र की वर्तमान संस्थाओं के स्तर तथा दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाये।

उक्त प्रतिबन्धकों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा, और यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो विभाग द्वारा उसकी मान्यता बिना पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है। "ब" श्रेणी की अस्थाई मान्यता दी जाने वाले विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है।

1– [illegible] ऐकेडमी जू0 हाईस्कूल किशनगढ़, [illegible], देहरादून।
2– धर्मसिंह मेमोरियल जू0 हाईस्कूल सीतापुर, बहदराबाद हरिद्वार।
3– जानकी पब्लिक स्कूल श्यामपुर अंबीवाला देहरादून।
4– विद्या विहार पब्लिक जू0 हाईस्कूल, [illegible], ज्वालापुर हरिद्वार।
[illegible] आदेश।

शासनादेश सं0 / 646 / 15–6–97–18एस(7)89 दि015–8–97 में दिये प्राविधानों के अन्तर्गत पद सृजित। प्र0अ0–01 पद, स0अ0–04 पद, लिपिक–01 पद, चतुर्थ श्रेणी–01 पद।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)
गढ़वाल मण्डल–पौड़ी (गढ़वाल)

पृष्ठाकन संख्या / बे0 / 125–65 / 2005–06 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपिः– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल, विद्यालयी शिक्षा, मयूर बिहार, देहरादून।
2. अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल / मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल।
4. अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) गढ़वाल मण्डल।
5. सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाचार्य / प्रबन्धक।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।